संख्या-22/2016/आर-3109/26-3-2015-2487/2015

प्रेषक,

विजय प्रसाद त्रिपाठी,
अनुसचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
जनजाति विकास
उ0प्र0,लखनऊ

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 04 फरवरी 2016

विषयः- राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों के विद्युत देयकों के भुगतान हेतु आयोजनेत्तर पक्ष की 42-अन्य व्यय मद में प्राविधानित धनराशि रूपया-17.29 लाख को पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय, जनजाति विकास के पत्रांक-192/ज.जा.वि./2015-16, दिनांक-08.09.2015 द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या पर सम्यक्विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-81 के आयोजनेत्तर पक्ष में लेखाशीर्षक"2225-02-796-09-42-अन्य व्यय" से रूपया-17.23 लाख (रूपया सत्तरह लाख तेइस हजार मात्र) की धनराशि को पुनर्विनियोग कर लेखाशीर्षक"2225-02-796-09-विद्युत देय मद" में व्यय किये जाने हेतु श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबंधों के अधीन स्वीकृति प्रदान करते हैं-

(1)-स्वीकृत की जा रही धनराशि उसी मद में व्यय की जायेगी। जिस मद में व्यय हेतु स्वीकृति प्रदान की जा रही है। इससे इतर व्यय वित्तीय अनियमितता होगी इसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होगें।

(2)-स्वीकृति की जा रही धनराशि के व्यय में उ0प्र0 बजट मैनुवल एवं अन्य सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3)- स्वीकृत की जा रही धनराशि व्यय किये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि पूर्व वर्षो में उक्त योजना के अंतर्गत स्वीकृत की गयी कोई धनराशि पी0एल0ए0/बैंक/डिपाजिट खाते में जमा नहीं है।

(4) उपर्युक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र नियमानुसार महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद एवं शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

2- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के अनुदान संख्या-81 के मुख्य लेखाशीर्षक-2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण-02-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-आयोजनेत्तर-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-09-अनुसूचित जनजातियों के लिये राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय के नामे डाला जायेगा तथा व्यय संलग्न प्रपत्र बी-एम-9 (पार्ट-1) के स्तम्भ-1 में उल्लिखित लेखाशीर्षको में उपलब्ध बचतों से पुर्नविनियोग कर वहन किया जायेगा।

उक्त आदेश वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3 की अशासकीय संख्या-ई-3-119(ए)/दस-2016, दिनांक-28 जनवरी, 2016 में प्राप्त सहमति के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

विजय प्रसाद त्रिपाठी
अनुसचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

पृ0संख्या-22/2016/आर-3109(1)/26-3-2015 तददिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1-महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी/लेखापरीक्षा) प्रथम उ0प्र0, इलाहाबाद।

2-कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उ0प्र0 लखनऊ।

3-वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1

4-समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)/गार्डफाइल/इन्टरनेट प्रति।

आज्ञा से

विजय प्रसाद त्रिपाठी
अनुसचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

प्रपत्र बी०एम०-9 भाग-1

पुर्नविनियोग के लिए आवेदन/स्वीकृति (संदर्भ बजट मैनुअल का प्रस्तर-158)

अनुदान संख्या-81- समाज कल्याण (जनजाति विकास विभाग) आयोजनेत्तर वित्तीय वर्ष 2015-16 (रू० हजार में)

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण						निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण					
लेखाशीर्षक-15डिजिटल कोड में	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान/विनियोग (2-5)	लेखाशीर्षक-15 डिजिट में	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध अनुदान/विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रस्तावित कुल व्यय	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (9-8)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात उपलब्ध अनुदान/विनियोग (8+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-02-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-आयोजनेत्तर-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-09-अनुसूचित जनजातियों के लिये राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय						2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-02-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-आयोजनेत्तर-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-09-अनुसूचित जनजातियों के लिये राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय					
42-अन्य व्यय	1723	1723	1723	1723	0	09-विद्युत देय	350	2073	1723	1723	2073
	1723	**1723**	**1723**	**1723**	**0**		**350**	**2073**	**1723**	**1723**	**2073**

1- स्तम्भ-3 में उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार है :-

क प्रश्नगत योजना शतप्रतिशत राज्यांश है। प्रश्नगत मद में आवश्यकता न होने के कारण बचत हो रही है।

2-स्तम्भ-8 में उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-9 में अंकित अधिक व्यय निम्नलिखित कारणों से है :-

क. प्रश्नगत योजना में मांग होने के फलस्वरूप अधिक व्यय है, परन्तु उल्लिखित मानक मदों में बजट प्राविधान रूपया-3.50 लाख ही है।

3-प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुर्नविनियोग में उ०प्र० बजट मैनुअल के प्रस्तर-150,151,154 व 155 में निर्दिष्ट प्रतिबंधों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

संख्या-आर०ई०-311 /ई-3-113(1)/दस-2015 दिनांक 28-1-16 ~~सितम्बर-2015~~

सेवा में,

महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी प्रथम)

उ०प्र०, इलाहाबाद।

(विजय प्रसाद त्रिपाठी)

अनुसचिव,

समाज कल्याण विभाग।

(रामवीर)

अनुसचिव

वित्त विभाग।

-2

संख्या- 22 /2016/आर.3109(1)/26-3-2015 तद्‌दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी)प्रथम, उ०प्र०,इलाहाबाद ।

2- निदेशक अनुसूचित जनजाति उ०प्र०, लखनऊ।

3- कोषाधिकारी, जवाहर भवन,लखनऊ।

4- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3

5- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (दो अतिरिक्त प्रतियों सहित)

6- निदेशक, एन०आई०सी०योजना भवन, लखनऊ।

7- समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)

8- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(विजय प्रसाद त्रिपाठी)

अनुसचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।